

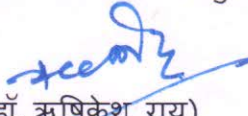


टी बोर्ड
14, बिप्लवी त्रैलोक्य सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक : 17.03.2022

कार्यालय आदेश सं. 11/2022

कार्यालय जापन संख्या 21/2022 दिनांक 10.03.2022 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उप-नियम, 1955 के तहत उपाध्यक्ष, टी बोर्ड, को प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री फाल्गुनी बनर्जी, उपनिदेशक, चाय विकास के पक्ष में आमतौर पर कार्यपालक निदेशक, कुन्नूर की सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को सौंपा जा रहा है। चाय विकास निदेशक, टी बोर्ड, कुन्नूर, अपने व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर, जब तक कि कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर का पद एमओसी एंड आई, सरकार द्वारा नियमित पदधारी द्वारा नहीं भरा जाता है अथवा जब तक कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन है कि वह उस कार्यालय के अग्रदाय खातों को बनाए रखेंगे और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, चाय बोर्ड उप-नियमों, 1955 के प्रावधानों व कार्यकारी समिति / बोर्ड के अन्य निर्णयों का भी अनुपालन करेंगे।


 (डॉ. ऋषिकेश राय)
 सचिव (प्र)

वितरण:-

1.	श्री फाल्गुनी बनर्जी, उ.नि.चा.वि, टी बोर्ड कुन्नूर	
2.	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कुन्नूर	
3.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4.	निदेशक चाय विकास	
5.	मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
6.	उपाध्यक्ष के सचिव एवं वि.स.व मु.ले.अ./सचिव के नि.सह	
7.	सचिवालयी शाखा	
8.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
9.	टी.बी.इ.ए.	
10.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित

सं. मिसिल सं. 7(1)/स्था/2019/पार्ट-III